कार्यालय – प्राचार्य

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.)

Email Id –gskycollege@gmail.com

क्रमांक – Q/NAAC/2022 गुण्डरदेही, दिनांक – 19-01-2022

// आदेश //

सत्र 2020 – 21

शैक्षणिक सत्र 2020 – 21 में कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक सी– 30 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्र. 861/150/आउशि/समन्वय/2020 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक – 29.06.2020 के परिपालन में नीचे लिखे अनुसार प्रवेश में आरक्षण नियम का पालन करते हुए विभिन्न कक्षाओं में सीट निर्धारित किया गया था।

आरक्षण प्रतिशत

01. अनुसूचित जाति – 12% 02 अनुसूचित जनजाति – 32% 03. अन्य पिछड़ा वर्ग – 14%

04. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र – पुत्री/पौत्र – पौत्री – 03% 05. दिव्यांगजन – 05%

क्र.	कक्षा	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र – पुत्री/पौत्र – पौत्री	दिव्यांगजन
01	बी.ए.भाग – एक	18	48	21	04	07
02	बी.ए.भाग – दो	18	48	21	04	07
03	बी.ए.भाग – तीन	17	48	20	04	07
04	बी.एससी.भाग – एक	11	29	13	03	05
05	बी.एससी.भाग – दो	11	29	13	03	05
06	बी.एससी.भाग – तीन	11	28	13	03	05
07	बी.कॉम.भाग – एक	11	29	13	03	05
08	बी.कॉम.भाग – दो	11	29	13	03	05
09	बी.कॉम.भाग – तीन	11	29	12	02	05
10	एम.ए.प्रथम सेमेस्टर, रानजीतिविज्ञान	03	08	04	01	01
11	एम.ए.तृतीय सेमेस्टर, रानजीतिविज्ञान	03	08	03	01	01
12	एम.ए.प्रथम सेमेस्टर, भूगोल	03	08	04	01	01
13	एम.ए.तृतीय सेमेस्टर, भूगोल	03	08	03	01	01
	योग	**131**	**349**	**153**	**33**	**55**

कुल योग – 721

संयोजक
प्रवेश समिति

डॉ.(श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर
PRINCIPAL
Govt. Shahid Kousbal Yadav College
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

LAP TARAM 387

Scanned with CamScanner

कार्यालय – प्राचार्य

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.)

Email Id –gskycollege@gmail.com

क्रमांक – Q/NAAC/2022 गुण्डरदेही, दिनांक – 19-01-2022

// आदेश //

सत्र 2019 – 20

शैक्षणिक सत्र 2019 – 20 में कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक सी– 30 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्र. 2470/887/आउशि/समन्वय/2019 अटल नगर, रायपुर, दिनांक – 24.05.2019 के परिपालन में नीचे लिखे अनुसार प्रवेश में आरक्षण नियम का पालन करते हुए विभिन्न कक्षाओं में सीट निर्धारित किया गया था।

आरक्षण प्रतिशत

01. अनुसूचित जाति – 12% 02 अनुसूचित जनजाति – 32% 03. अन्य पिछड़ा वर्ग – 14%

04. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र – पुत्री/पौत्र – पौत्री – 03% 05. दिव्यांगजन – 05%

क्र.	कक्षा	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र – पुत्री/पौत्र – पौत्री	दिव्यांगजन
01	बी.ए.भाग – एक	18	48	21	04	07
02	बी.ए.भाग – दो	18	48	21	04	07
03	बी.ए.भाग – तीन	17	48	20	04	07
04	बी.एससी.भाग – एक	11	29	13	03	05
05	बी.एससी.भाग – दो	11	29	13	03	05
06	बी.एससी.भाग – तीन	11	28	13	03	05
07	बी.कॉम.भाग – एक	11	29	13	03	05
08	बी.कॉम.भाग – दो	11	29	13	03	05
09	बी.कॉम.भाग – तीन	11	29	12	02	05
10	एम.ए.प्रथम सेमेस्टर, रानजीतिविज्ञान	03	08	04	01	01
11	एम.ए.तृतीय सेमेस्टर, रानजीतिविज्ञान	03	08	03	01	01
12	एम.ए.प्रथम सेमेस्टर, भूगोल	03	08	04	01	01
13	एम.ए.तृतीय सेमेस्टर, भूगोल	03	08	03	01	01
	योग	**131**	**349**	**153**	**33**	**55**

कुल योग – 721

संयोजक
प्रवेश समिति

डॉ.(श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर
प्राचार्य
PRINCIPAL
Govt. Shahid Koushal Yadav College
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

LAP TARAM 388

Scanned with CamScanner

कार्यालय – प्राचार्य

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.)

Email Id –gskycollege@gmail.com

क्रमांक – Q/NAAC/2022 गुण्डरदेही, दिनांक – 19-01-2022

// आदेश //

सत्र 2018 – 19

शैक्षणिक सत्र 2018 – 19 में कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक सी– 30 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्र. 121/260/आउशि/समन्वय/2018 नवा रायपुर, दिनांक – 14.05.2018 के परिपालन में नीचे लिखे अनुसार प्रवेश में आरक्षण नियम का पालन करते हुए विभिन्न कक्षाओं में सीट निर्धारित किया गया था।

आरक्षण प्रतिशत

01. अनुसूचित जाति – 12% 02 अनुसूचित जनजाति – 32% 03. अन्य पिछड़ा वर्ग – 14%

04. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र – पुत्री/पौत्र – पौत्री – 03% 05. दिव्यांगजन – 05%

क्र.	कक्षा	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र – पुत्री/पौत्र – पौत्री	दिव्यांगजन
01	बी.ए.भाग – एक	18	48	21	04	07
02	बी.ए.भाग – दो	18	48	21	04	07
03	बी.ए.भाग – तीन	17	48	20	04	07
04	बी.एससी.भाग – एक	11	29	13	03	05
05	बी.एससी.भाग – दो	11	29	13	03	05
06	बी.एससी.भाग – तीन	11	28	13	03	05
07	बी.कॉम.भाग – एक	11	29	13	03	05
08	बी.कॉम.भाग – दो	11	29	13	03	05
09	बी.कॉम.भाग – तीन	11	29	12	02	05
10	एम.ए.प्रथम सेमेस्टर, रानजीतिविज्ञान	03	08	04	01	01
11	एम.ए.तृतीय सेमेस्टर, रानजीतिविज्ञान	03	08	03	01	01
12	एम.ए.प्रथम सेमेस्टर, भूगोल	03	08	04	01	01
13	एम.ए.तृतीय सेमेस्टर, भूगोल	03	08	03	01	01
	योग	131	349	153	33	55

कुल योग – 721

संयोजक
प्रवेश समिति

डॉ.(श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर
प्राचार्य
PRINCIPAL
Govt. Shahid Koushal Yadav College
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

LAP TARAM 389

Scanned with CamScanner

कार्यालय – प्राचार्य

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.)

Email Id –gskycollege@gmail.com

क्रमांक – **Q/NAAC/2022** गुण्डरदेही, दिनांक – **19-01-2022**

// आदेश //

सत्र 2017 – 18

शैक्षणिक सत्र् 2017 – 18 में कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक सी– 30 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्र. 445/138/आउशि/समन्वय/2017 नवा रायपुर, दिनांक – 02.06.2017 के परिपालन में नीचे लिखे अनुरार प्रवेश में आरक्षण नियम का पालन करते हुए विभिन्न कक्षाओं में सीट निर्धारित किया गया था।

आरक्षण प्रतिशत

01. अनुसूचित जाति – 12% 02 अनुसूचित जनजाति – 32% 03. अन्य पिछड़ा वर्ग – 14%

04. दिव्यांगजन एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र – पुत्री/पौत्र – पौत्री – 03%

क्र.	कक्षा	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र – पुत्री/पौत्र – पौत्री
01	बी.ए.भाग – एक	18	48	21	05
02	बी.ए.भाग – दो	18	48	21	05
03	बी.ए.भाग – तीन	17	48	20	04
04	बी.एससी.भाग – एक	11	29	13	03
05	बी.एससी.भाग – दो	11	29	13	03
06	बी.एससी.भाग – तीन	11	28	12	02
07	बी.कॉम.भाग – एक	11	29	13	03
08	बी.कॉम.भाग – दो	11	29	13	02
09	बी.कॉम.भाग – तीन	11	29	12	02
10	एम.ए.प्रथम सेमेस्टर, रानजीतिविज्ञान	03	08	04	01
11	एम.ए.तृतीय सेमेस्टर, रानजीतिविज्ञान	03	08	03	01
12	एम.ए.प्रथम सेमेस्टर, भूगोल	03	08	04	01
	योग	**128**	**341**	**149**	**32**

कुल योग – 650

संयोजक
प्रवेश समिति

डॉ.(श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर
प्राचार्य
PRINCIPAL
Govt. Shahid Koushal Yadav College
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

LAP TARAM 390

Scanned with CamScanner

कार्यालय – प्राचार्य

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.)

Email Id –gskycollege@gmail.com

क्रमांक – Q/NAAC/2022 गुण्डरदेही, दिनांक – 19-01-2022

// आदेश //

सत्र 2016– 17

शैक्षणिक सत्र 2016 – 17 में कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक सी– 30 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्र. 112/228/आउशि/समन्वय/2016 नवा रायपुर, दिनांक – 17.05.2016 के परिपालन में नीचे लिखे अनुसार प्रवेश में आरक्षण नियम का पालन करते हुए विभिन्न कक्षाओं में सीट निर्धारित किया गया था।

आरक्षण प्रतिशत

01. अनुसूचित जाति – 12% 02 अनुसूचित जनजाति – 32% 03. अन्य पिछड़ा वर्ग – 14%

04. दिव्यांगजन एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र – पुत्री/पौत्र – पौत्री – 03%

क्र.	कक्षा	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र – पुत्री/पौत्र – पौत्री
01	बी.ए.भाग – एक	14	38	17	05
02	बी.ए.भाग – दो	14	38	17	04
03	बी.ए.भाग – तीन	13	38	17	04
04	बी.एससी.भाग – एक	10	26	11	02
05	बी.एससी.भाग – दो	10	26	11	02
06	बी.एससी.भाग – तीन	10	26	11	02
07	बी.कॉम.भाग – एक	10	26	11	02
08	बी.कॉम.भाग – दो	10	26	11	02
09	बी.कॉम.भाग – तीन	10	26	11	02
10	एम.ए.प्रथम सेमेस्टर, राजनीतिविज्ञान	03	08	04	01
11	एम.ए.तृतीय सेमेस्टर, राजनीतिविज्ञान	03	07	04	01
	योग	107	285	125	27

कुल योग – 544

संयोजक
प्रवेश समिति

डॉ.(श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर
प्राचार्य
PRINCIPAL
Govt. Shahid Koushal Yadav College
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

LAP TARAM 391

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर
-------00---------

क्रमांक एफ 17–95 / 2017 / 38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 29-06-2020

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।

विषयः– छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2020–21 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।

संदर्भः– आपका ज्ञापन कमांक 416 / 149 / आउशि / सम / 2020 दिनांक 26.05.2020

-----00-------

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओ को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(रविन्द्र कुमार मेढेकर)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17–95 / 2017 / 38–2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

स.पु.(डी)

2/7/20

2/7/20

Scanned with CamScanner

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये
सत्र 2020–21 हेतु
प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2020–21

1. प्रयुक्ति :–

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम समेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :–

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :–

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगें। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति मे पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :–

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितंबर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रकिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी।कंडिका 5.1 (क)

Scanned with CamScanner

स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओ मे प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा मे उत्तीर्ण नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित / स्वाध्यायी विद्यार्थियो के क्रम मे होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।

11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों / तहसीलों / जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुकम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण- छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था मे इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात :-

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहाँ खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको /भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनो के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती / नातिन के लि 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्था आरक्षित रहेंगे।

Scanned with CamScanner

12.4 सभी वर्गो मे उपलब्ध स्थानों मे से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओ के लिये आरक्षित होगा।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन मे नियमानुसार मेरिट सूची मे रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीट यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी मे भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नही होगा, 1/2 प्रतिशत् एव एक प्रतिशत् के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू–कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत् तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि – "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13 अधिभार :–

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नही किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत

Scanned with CamScanner

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा
ब्लॉक–सी–3 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रवती भवन,
अटल नगर,रायपुर (छ.ग.)

——00——

क्रमांक/2470/ 887 /आउशि/ समन्वय/2019 अटल नगर रायपुर,दिनांक 24/05/2019

प्रति,

1. कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

2. प्राचार्य,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

क्र 63
दि 25-5-19

विषय :– छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019–20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत।

संदर्भ :– अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17–95/ 2017/ 38–2 अटल नगर रायपुर,दिनांक 24.05.2019

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019–20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत जारी किये गये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत 2019–20 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत 2019–20 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करावें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(डॉ.किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/2471/ 887 /आउशि/ समन्वय/2019 अटल नगर रायपुर, दिनांक 24/05/2019

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/ बिलासपुर/जगदलपुर/ अंबिकापुर / दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

डॉ. डी.आर. मेश्राम
25.05.19

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, अटल नगर
जिला–रायपुर

------00---------

क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 24/5/2019

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

विषयः– **छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019–20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।**

संदर्भः– **आपका प्रस्ताव जावक कमांक 1077 दिनांक 06.05.2019**

-----00-------

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2019–20 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कडाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(रविन्द्र मेढेकर)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 अटल नगर रायपुर, दिनांक / /2018

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

4 गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2019–20

1 प्रयुक्ति :

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सम्मिलित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों का शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2 प्रवेश की तिथि :–

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :–

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किए जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :–

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 15 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "क" ने स्थान (अ) में [illegible]

Scanned with CamScanner

[illegible] की सुविधा नहीं [illegible] उन्हें गुणानुक्रम से [illegible]
[illegible] गुणानुक्रम में आने पर पूर्व प्रवेश के छात्रों [illegible] पूर्व प्रवेश [illegible] प्रवेश की [illegible]

11.[illegible] परन्तु विश्वविद्यालय अध्ययनशाला तथा शासकीय महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं [illegible] स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा। :–

12.1 किसी शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण, किसी शैक्षणिक संस्था में उसके निम्नलिखित सीटों के अंश, अर्थात् :

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी।

परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इस अनुसूचित जातियों से उनके निर्दिष्ट क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परन्तुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इन्हें अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उदग्र (वर्टिकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति तदनुसार आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी अथवा [illegible] में नियमानुसार मेरिट सूची में स्थान पाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीट [illegible] अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी सामान्य जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि

Scanned with CamScanner

... की सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी जायेगी ...

12.6 आरक्षित सीटों के प्रतिशत 1/2 से कम आने पर ... आरक्षित स्थान ... 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए ... 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 ... आरक्षण ... किया जाए।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय के ... निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 ... के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.सी. 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13 अधिभार :

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्त हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्र पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जाए।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टीफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टीफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	"सी" सर्टीफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(ङ)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(च)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(छ)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(ज)	छत्तीसगढ़ का ... एन.सी.सी. ...	[illegible]

14-5-18

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लाक सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन
नया रायपुर (छ०ग०)

क्रमांक 121 /260/आउशि/योजना/18 नया रायपुर दिनांक 14/05/2018

प्रति,

कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़।

विषय :– सेतु (SETU) परियोजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2018–19 में ऑनलाईन प्रवेश के संबंध में।

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सेतु (SETU) परियोजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2018–19 में चिप्स (CHIPS) के माध्यम से ऑनलाईन प्रवेश प्रकिया नहीं किया जावेगा। सभी विश्वविद्यालय अपने अधीनस्थ शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में अपने संसाधन/व्यवस्था के अनुरूप सुव्यवस्थित प्रवेश सुनिश्चित करें।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा से अनुमोदित)

(डॉ. किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर (छ०ग०)

पृ.क्रमांक 122/ 260/आउशि/योजना/18 नया रायपुर दिनांक 14/05/2018

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, मान. मंत्री जी, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय मंत्रालय महानदी भवन की ओर सूचनार्थ।
3. अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/अम्बिकापुर (छ.ग.)
4. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय (छ.ग.)
5. प्राचार्य, समस्त महाविद्यालय छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
रायपुर (छ०ग०)

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत
सत्र 2018–2019

1. प्रयुक्ति :–

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों मे छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम समेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :–

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :–

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं मे प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :–

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 15 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। **(स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा)** परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) मे उल्लेखित, कर्मचारियो के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र–पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :–

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा मे प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) मे जहा उसके पालक कार्यरत थे किसी भी

अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हे गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त होने पर एवं गुणानुकम मे आने पर पूरे प्रवेश के छात्रों को पूरे प्रवेश मे प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा. किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी।

परन्तु, जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों /भूतपूर्व सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध मे क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियो के पुत्र–पुत्रियो के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गो मे उपलब्ध स्थानो में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन कम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची मे रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीट यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी सवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि

का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटे भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नही होगा, 1/2 प्रतिशत् एवं एक प्रतिशत् के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत् तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि -- "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. **अधिभार :-**

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ मे पढ जावे।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ के एन.सी.सी./एन.एस.एस कंटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत

Scanned with CamScanner

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा
ब्लॉक–सी–30 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रवती भवन,
नया,रायपुर(छ.ग.)
——00——

क्रमांक/ 445 138 /आउशि/ समन्वय/2017 रायपुर,दिनांक 02/06/2017

प्रति,

1 कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

2 प्राचार्य,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषय :– छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2017–18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत।

संदर्भ :– अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17–95/2017/ 38–2 नया रायपुर,दिनांक 29.05.2017

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2017–18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वात जारी किये गये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वात 2017–18 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत 2017–18 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(डॉ. किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/446 138 /आउशि/ समन्वय/2017 रायपुर,दिनांक 02/06/2017

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ मे सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

मुख्य लिपिक
03.06.17

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर
------00---------

क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नया रायपुर, दिनांक 29 MAY 2017

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

विषयः– छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2017–18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।

संदर्भः– आपका प्रस्ताव कमांक 68/आउशि/समन्वय/2017

-----00-------

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए शैक्षणिक सत्र 2017–18 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(नलिनी माथुर)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 17–9522017/38–2 नया रायपुर, दिनांक 29 MAY 2017

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. निज सचिव, संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

5. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत
सत्र 2017–2018

1. **प्रयुक्ति :–**

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम समेस्टर से है।

2. **प्रवेश की तिथि :–**

2.1 **प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :–**
आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 **प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :–**
स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। **(स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा)** परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र–पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :–
आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहा उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी

Scanned with CamScanner

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नही होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा मे प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. **आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–**

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश मे सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से बारह प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत् सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियो में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियो से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चो या व्यक्तियो के अन्य विशेष वर्गो के संबध मे क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनो के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत् स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के प्राप्तांकों को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गो मे उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत् स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी मे भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेंगी।

Scanned with CamScanner

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नही होगा 1/2 प्रतिशत् एवं एक प्रतिशत् के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू–कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत् तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध मे प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) मे यह निर्देश दिया गया है कि – "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13 **अधिभार :–**

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 **एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स**

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधितत्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड मे छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए	

Scanned with CamScanner

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लाक सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन
नया रायपुर (छ0ग0)

क्रमांक– 11 /228/आउशि/समन्वय/16 नया रायपुर दिनांक /05/16

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.)
क्र. 54
दि. 17-5-16

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़

2. प्राचार्य,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय
छत्तीसगढ़।

श्री [illegible]
समस्त प्राध्यापक
[illegible]
18.5.16

विषय – छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2016–17 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।

संदर्भ – अवर सचिव छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क. 4077/2282/2014/38–2 / 2014/38–2 रायपुर दिनांक 12.05.2016

-----00-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग [illegible] द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2015–16 [illegible] मार्गदर्शिका सिद्धांत शैक्षणिक सत्र 2016–17 के लिए यथावत लागू होंगे।

अतएव आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय [illegible] महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका [illegible] दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करावें।

([illegible])
संयुक्त [illegible]
उच्च शिक्षा [illegible]

पृ.क्रमांक– /228/आउशि/समन्वय/16 नया रायपुर दिनांक /05/16

प्रतिलिपि :–

1. [illegible] सचिव छ.ग.शासन [illegible] शिक्षा विभाग की ओर [illegible] सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय [illegible] शिक्षा [illegible] अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर

18/05/16
18/5/16
[illegible]/16

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

— — o — —

क्रमांक एफ 77 / 2282 / 2014 / 38–2 [illegible]

प्रति

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन
नया रायपुर छत्तीसगढ़

विषय :– छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओ के लिये सत्र 2016–17 हेतु [illegible] सिद्धांत तैयार करने बाबत्।

— — 0 — —

राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए वर्ष 2015–16 के [illegible] सिद्धान्त शैक्षणिक सत्र 2016–2017 के लिए यथावत लागू रहेंगे।

2. कृपया सभी शैक्षणिक संस्थाओं को सूचित करते हुए [illegible] प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का [illegible]

(सुरेश यादव)
[illegible]
छत्तीसगढ़ [illegible]
नया रायपुर [illegible]

[illegible] / 2282 / 2014 / 38–2

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी उच्च शिक्षा विभाग [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
[illegible]
4. [illegible]

संयुक्त सचिव
[illegible]

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

— — o — —

क्रमांक 4077 / 2282 / 2014 / 38-2 नया रायपुर, दिनांक [illegible]

प्रति,

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर छत्तीसगढ़.

विषय – छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2016–17 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।

— — 0 — —

राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए वर्ष 2015–16 में जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धान्त शैक्षणिक सत्र 2016–2017 के लिए यथावत लागू रहेंगे।

2/ कृपया सभी शैक्षणिक संस्थाओं को सूचित करते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धान्त का पूर्ण सावधानी एवं कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(भुवनेश यादव)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्र. / 2282 / 2014 / 38-2 नया रायपुर, दिनांक [illegible]

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उ0 शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
2. निज सहायक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

की ओर सूचनार्थ।

4. आदेश पत्रावली।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 4077 / 2262 / 2014 / 38-2 नया रायपुर, दिनांक [illegible] / 2016

प्रति,

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
इन्द्रावती भवन
नया रायपुर छत्तीसगढ़

विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2016-17 हेतु प्रवेश मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करने बाबत्।

--0--

राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए वर्ष 2015-16 में जारी प्रवेश मार्गदर्शक सिद्धांत शैक्षणिक सत्र 2016-2017 के लिए यथावत लागू होंगे।

2. कृपया सभी शैक्षणिक संस्थाओं को सूचित करते हुए प्रवेश मार्गदर्शक सिद्धांत का [illegible] प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(भुवनेश यादव)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्र. [illegible] / 2262 / 2014 / 38-2 नया रायपुर, दिनांक [illegible]

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
3. [illegible] उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

की ओर सूचनार्थ।

4. आदेश पत्रक।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लाक सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन
नया रायपुर (छ0ग0)

क्रमांक–250/02/आउशि/समन्वय/15 नया रायपुर दिनांक 07/07/15

प्रति,

1. कुलसचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय
   छत्तीसगढ़
2. प्राचार्य,
   समस्त अग्रणी महाविद्यालय
   छत्तीसगढ़।

क्र. 42
दि. 8-7-15

विषय :– छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2015–16 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।

संदर्भ :– अवर सचिव छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क. 2636/2282/2014/38–2 रायपुर दिनांक 04.07.2015

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2015–16 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2015–16 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एव अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुये, प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2015–16 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(डॉ.किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर

पृ.क्रमांक– /02/आउशि/समन्वय/15 नया रायपुर दिनांक 07/07/15

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा बिलासपुर/जगदलपुर/अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

36 /2282/2014/38-2 रायपुर, दिनांक 04/07/2015

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर (छ0ग0)

य :- **छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2015-16 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।**

——00——

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2015-16 हेतु प्रवेश ंदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है। कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति लब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिए गए प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का ट करें।

/ निर्देशानुसार सूचित है कि प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से त विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

(श्रीमती दुर्गा देवांगन)
अवर सचिव
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक /07/2015

क्र /2282/2014/38-2
तिलिपि -

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,

की ओर सूचनार्थ।

3. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Scanned with CamScanner

आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–

प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात् :–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत् सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी।

परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियो की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परन्तुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहां खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियो से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत् स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के प्राप्तांकों को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत् स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा. 1/2 प्रतिशत् एवं एक प्रतिशत् के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू–कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत् तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी।

Scanned with CamScanner

समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि – "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. **अधिभार :–**

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 **एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स**

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	05 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियो को	10 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम मे उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय मे प्रवेश लेने पर — 15 प्रतिशत

10 प्रतिशत

Scanned with CamScanner